



68/18

श्री लक्ष्मण क मन्थ ४/5 श्री दामन सिंह व अन्य


01-1-19

वकुल ए. परा... का...
व्यस्त/..... का...
पधारे हैं। मिसल वास्तु...
समक्ष दिनांक... 02-1-19 को परा हों।

02-1-19

लक्ष्मण क मन्थ

सैतान सिंह



श्री...
श्री...



श्री...
श्री...

Sir
I denounce
by me
Jitendra

वकील उर्षी व स्वयं गार्डीगण उपस्थित।
गार्डीगण की ओर से ब्रह्म वार में गान्धन वास्ते
प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं वारेन नारा प्रस्तुत
हुआ। वकील उर्षी ने निवेदन किया कि गार्डीगण
एवं गार्डीगण के बीच मौजूद लोगों की -
समझौता से आपसी राजीनामा हो गया है तथा
गार्डीगण एक ही परिवार के लोग हैं, इस कारण
गार्डीगण उपरोक्त प्रकरण को छोड़ने नहीं चलाया
जाते हैं, बतः प्रकरण दारिद्र्य दफतर कराने
के मोहवा करावे। गार्डीगण एवं पत्रावली का
अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में
गार्डीगण सं. 1 से 4 के विरुद्ध अन्तरगत कार्यवाही की
जा चुकी है एवं प्रकरण अभी प्रारंभिक अवस्था
में है। उपस्थित परकारान गार्डीगण को गान्धन
राजीनामा पढकर सुनाया व समझाया गया जिस
पर उन्होंने सहमति जताते करते हुए गान्धन
छोड़ने नहीं चलाने चलावे का निवेदन किया।
इसत आशय के इस्तासद उपस्थित गार्डीगण से
करवाए गए जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता
ने संकित की। इसत समस्त विवेचन क सधमारे
व लोक अदालत की भावना से प्रकरण इसी
स्तर पर स्वीकृत किया जाता है। मिसल
फैसल गुमार डोकद नम्बर से कम हो।

(सुरेश चौधरी)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर